



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235796
CG-DL-E-17052022-235796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2133]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944

No. 2133]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2022

का.आ. 2248(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4531(अ), दिनांकित 18 दिसंबर, 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 [किमी 0.00 से किमी 127.650 (रायपुर-बिलासपुर खंड) तक को छोड़कर] को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-49) के बनारी से मसानिया कला गांव खंड के डिजाइन किमी 160.687 से डिजाइन किमी 216.334 (मौजूदा किमी 178.944 से किमी 241.553) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेने के उपयोग के लिए 18.788 किमी निवल सड़क खंड लंबाई और 12.02 किमी [1.202 किमी की लंबाई वाली] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के साथ प्रतिशत पर तथा दस करोड़ रु. या उससे अधिक लागत वाले 35.657 किमी लंबाई के बाइपासों के लिए आधार दरों के 90% पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
छत्तीसगढ़ के जंजगीर-चंपा जिले के केसला गांव में रारा-49 के डिजाइन किमी 198.967 पर	18.788	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :

तालिका-3						
पथकर प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है		दर, जिस पर फीस संदेय है
छत्तीसगढ़ के जंजगीर-चंपा जिले के केसला गांव में रारा-49 के डिजाइन किमी 198.967 पर	जंजगीर-चंपा बाईपास			लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रु.)	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
		डिजाइन किमी 160.687 (मौजूदा किमी 178.944)	डिजाइन किमी 183.670 (मौजूदा किमी 206.112)	22.283	81.868	
	शक्ति बाईपास	डिजाइन किमी 202.960 (मौजूदा किमी 225.547)	डिजाइन किमी 216.334 (मौजूदा किमी 241.553)	13.374	49.136	
			लंबाई	35.657*	131.004 करोड़	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
छत्तीसगढ़ के जंजगीर-चंपा जिले के केसला गांव में रारा-49 के डिजाइन किमी 198.967 पर	1.202 [^]	12.02	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

[^] ब्यौरे निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
1	176.160	176.860	बड़ा पुल	0.700
2	196.496	196.998	आरओबी	0.502
जोड़				1.202

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2021-22 के लिए 285.00 रु. (दो सौ पिचासी रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 543.73 करोड़ रु. है। [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उद्ग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरओ/सीजी/2021-22/एनएच-49/टोल/बनारी-मसानीकला]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2022

S.O. 2248(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number S.O. 4531(E) dated the 18th Day of December, 2019 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway 200 [excluding from km 0.00 to km 127.650 (Raipur-Bilaspur Section)] in the State of Chhattisgarh to the State Government of Chhattisgarh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at sixty per cent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 18.788 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 12.02 km (having length of 1.202 km) and ninety percent of the base rates for bypasses having length of 35.657 km costing rupees 10 crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of two lane with paved shoulder of Banari to Masania Kala village section from design kilometer 160.687 to design kilometer 216.334 (existing km 178.944 to km 241.553) of National Highway number 200 (New NH-49) in the State of Chhattisgarh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At design km 198.967 of NH-49 at village Kesla of Janjgir-Champa District of Chhattisgarh	18.788	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost(in Rs. Crore)	
At design km. 198.967 of NH-49 at village Kesla of Janjgir-Champa District of Chhattisgarh	Janjgir-Champa bypass	Design km 160.687 (Existing km 178.944)	Design km 183.670 (Existing km 206.112)	22.283	81.868	90% of the base rates mentioned Table-I above
	Sakti bypass	Design km 202.960 (Existing km 225.547)	Design km 216.334 (Existing km 241.553)	13.374	49.136	
Total Length				35.657*	131.004Cr.	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At design km. 198.967 of NH-49 at village Kesla of Janjgir-Champa District of Chhattisgarh	1.202 [^]	12.02	60% of the base rates mentioned Table-1 above

[^]The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	176.160	176.860	Major Bridge	0.700
2	196.496	196.998	ROB	0.502
Total				1.202

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 285.000 (Rupees Two Hundred Eighty Five Only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 543.73 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RO/CG/2021-22/NH-49/Toll/Banari-Masaniakala]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.